रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2015/आश्विन 22, 1937
No. 272] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2015/ASVINA 22, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2015

सं.यू-23013/31/2014- एल डब्ल्यू (.).—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या यू-23013/31/2014-एल.डब्ल्यू. दिनांक 25 फरवरी, 2015 का अधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में अधिसूचना संख्या एसओ 640ई दिनांक 4.07.2001 के विरूद्ध ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 की धारा 31 के अंतर्गत पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट, उड़ीसा के लौह तथा कोयला हैंडलिंग संयंत्रों में छूट प्रदान करने के विचारार्थ समिति का गठन करता है।

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:-

(i) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, महासचिव, -सदस्य
हिन्द खदान मजदूर महासंघ (हिन्द मजदूर सभा)
प्लॉट संख्या 1557/डी, सैक्टर 10, सीडीए
अभिनंदबिदानासी, कटक-753014
ओडीशा

(ii) श्री आलोक कुमार, कार्यकारी निदेशक -सदस्य
सिविल इंजीनियरिंग, (सामान्य)
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
नई दिल्ली।

(iii) आरएलसी (केन्द्रीय), भुवनेश्वर -सदस्य-संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

"अनुसची के (क) गंदगी सफाई; और (ख) उक्त अधिसूचना के छलकन हटाना, में दिए गए कार्यों में ठेका मजदूरों के नियोजन को प्रतिषेध करने की अधिसूचना संख्या एसओ 640(ई), दिनांक 4.07.2001 के विरूद्ध, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट, ओडिशा को छूट प्रदान किए जाने की औचित्य का अध्ययन करना"

4. समिति का मुख्यालय भुवनेश्वर होगा। समिति पक्षों को नए सिरे से सुनेगी, निवेदन यदि कोई हो प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें, तथा अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करें।

ए.के.सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th October, 2015

No.U-23013/31/2014-LW (.).— In supersession of this Ministry's Resolution No. U-23013/31/2014-LW dated 25th February, 2015 and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption in the Iron and Coal handling plants of Paradip Port Trust, Paradip Port, Odisha under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification No. S.O. 640(E), dated 04.07.2001 in respect of prohibit the employment of Contract Labour in the works given in the schedule to the said Notification.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

(i) Shri Rajendra Prasad Singh, -Member
General Secretary,
Hind Khadan Mazdoor Federation (Hind Mazdoor Sabha)
Plot No.1557/D, Sector-10, CDA,
Abhinanda Bidanasi, Cuttack – 753014 Odisha

(ii) Shri Alok Kumar, Executive Director, -Member
Civil Engineering, (General)Ministry of Railways, (Railway Board),
New Delhi.

(iii) RLC(Central), Bhubaneshwar -Member Convenor

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study whether there is justification for grant exemption to Paradip Port Trust, Paradip Port Odisha under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification No. S.O. 640(E), dated 4.07.2001 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule (a) Muck Cleaning; and (b) Spillage removal to the said Notification."

4. The Headquarter of the Committee will be at Bhubaneshwar. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within three months.

A.K. SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.